न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास -- श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या -- 26/2020/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मोहनलाल पि. लक्ष्मीनारायण जाति माली नि. पिडावा तहसील पिडावा

– प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द पि. मोतीलाल जाति माली नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. पीरूलाल पि. मगन जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा
3. बाबूलाल पि. मगन जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा
4. भंवरबाई पि. मगन जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा
5. कैलाशबाई पि. मगन जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा
6. पन्नालाल पि. पूरा जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा
7. अमीन खां पि. मोहम्मद खां जाति मेवाती नि. पिडावा तहसील पिडावा
8. भूरे खां पि. उमराव खां जाति मेवाती नि. पिडावा तहसील पिडावा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री ईकबाल अहमद खान

वकील अप्रार्थी 1 , 2 , 7 , 8 – श्री अहमदउल्ला खान

निर्णय दिनांक : 01/07/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा.टी.एक्ट. के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पिडावा की आराजी ख.नं. 480 रकबा 1.8843 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी , कब्जे , काश्त की है जो पिडावा से ग्राम दिलावरा की ओर जा रहे आम रोड से एक खेत पूर्व दिशा में स्थित है। इस आराजी के उत्तर पश्चिम दिशा में ख.नं. 481 , 482 , 483 स्थित है व दक्षिण दिशा में ख.नं. 468, 481 स्थित है एवं पूर्व दिशा में ख.नं. 474 , 475 , 479 स्थित है जिसमें होकर प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने का रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण रास्ता देने के इंकार हो गये। प्रार्थी को अपनी आराजी में खाद , बीज , फसल व अन्य कृषि यंत्र लाने ले जाने में काफी परेशानी आ रही है। ख.नं. 468 व 481 के बीच की मेड पर होकर कच्चा स्थित है जिसको अप्रार्थीगण अपनी अपनी आराजी में आने जाने हेतु काम में लेते है किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.05 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

Scanned by TapScanner

अप्रार्थीगण ने ख.नं. 468 व 481 की बाडाबंदी करके तार फेंसिग कर रखे है एवं रास्ते को अपने खातेदारी के नं. तक सीमित कर रखा है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार पिडावा के न्यायालय में रास्ता खुलासा करने का पेश किया था जिसमें तहसीलदार पिडावा ने दिनांक 24.02.2020 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि में मौके पर रास्ता नहीं होने एवं नवीन रास्ता देने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से धारा 251 रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। प्रार्थी अपनी आराजी ख.नं. 480 पर पहुँचने के लिये ख.नं. 468 व 481 के मध्य वाली मेड पर होकर 10 फीट चौडा नवीन रास्ता चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम पिडावा की आराजी ख.नं. 480 पर पहुँचने के लिये ख.नं. 468, 480, 481, 482, 483 में से किसी भी भूमि में होकर 10 फीट चौडा नवीन रास्ता कायमी का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दि. 16.07.2015, आर्डरशीट, मौका रिपोर्ट दि. 10.06.2019, मौका रिपोर्ट दि. 09.06.2015, नक्शा ट्रेस एवं ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074--77 के खाता सं. 286, 493, 459, 46, 389 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 3, 4, 5, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2, 7, 8 की ओर से एडवोकेट श्री अहमद उल्ला खान ने वकालातनामा पेश किया।

प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई।

भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी ख.नं. 480 पर आने जाने के रास्ता हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 481 की उत्तर दिशा की मेड अथवा ख.नं. 482 की दक्षिण दिशा की मेड पर होकर रास्ता दिया जा सकता है।

पत्रावली को अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में यह पाया कि प्रार्थी को ग्राम पिडावा की अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 480 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 482 की उत्तरी मेड पर होकर 10 फीट चौडा एवं 350 फीट लम्बा अर्थात लगभग 3 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया जा सकता

COURT

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.05 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

Scanned by TapScanner

5

है। उक्त नवीन रास्ता कायमी से होने वाली अप्रार्थीगण की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 480 में से (ख.नं. 482 से लगवा मेड पर) 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को दी जा सकती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिडावा की आराजी ख.न. 480 पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 482 की उत्तरी मेड पर होकर 10 फीट चौडा एवं 350 फीट लम्बा अर्थात लगभग 3 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण को होने वाली क्षतिं के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 480 में से (ख.नं. 482 से लगवा मेड पर) 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को प्रदान करेगा। तहसीलदार पिडावा को ग्राम पिडावा की आराजी ख.नं. 482 की उत्तरी मेड पर होकर 10 फीट चौडा एवं 350 फीट लम्बा अर्थात लगभग 3 बिस्वा भूमि को सार्वजनिक उपयोगार्थ गे.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.07.05 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner